

BEFORE THE HONORABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1155 OF 2024
(& I.A. 443/2024)

IN THE MATTER OF:

KAUSHALENDRA KUMAR

...APPLICANT

-VERSUS-

UNION OF INDIA & QRS.

...RESPONDENTS

INDEX

SR. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Short Reply on behalf of the Respondent No. 5, Ghaziabad Development Authority in the matter of <i>Kaushalendra Kumar v. Union of India and Others</i> O.A. 1155 of 2024.	1-4
2.	ANNEXURE A-1 (COLY): A true copy of the letters dated 09.11.2024, 12.09.2024, 07.09.2024 & 18.04.2024.	5-12
3.	ANNEXURE A-2 (COLLY): A true copy of show cause notices dated 15.10.2024, 03.10.2024 & 01.10.2024.	13-17

Place: New Delhi

Date: 18.08.2025

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY
(RESPONDENT NO. 5)

THROUGH COUNSEL

YAGYAWALKYA SINGH
Advocate-on-Record
Supreme Court of India
Chamber: 203, Setaiwad Block, Bhagwan Dass Road
New Delhi-110001
Mob.: 7835848157, 9315614163



YAGYAWALKYA SINGH
ADVOCATE-ON-RECORD
A-131, SECTOR 46, NOIDA, and U.P.
Email: yagywalkya@dylawchambers.com
Contact: +91- 7838848157

BEFORE THE HONORABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DLEHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1155 OF 2024
(& I.A. 443/2024)

IN THE MATTER OF:

KAUSHALENDRA KUMAR

...APPLICANT

-VERSUS-

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENTS

**SHORT REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 5, GHAZIABAD
DEVELOPMENT AUTHORITY IN THE MATTER OF KAUSHALENDRA
KUMAR V. UNION OF INDIA AND OTHERS O.A. 1155 OF 2024**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH: -

1. That the present reply is being filed on behalf of the Respondent No. 5, Ghaziabad Development Authority in the present Original Application No. 1155of 2024titled as *Kaushalendra Kumar v. Union of India and Others*(hereinafter referred to as 'the present matter') pending for adjudication before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as 'the Hon'ble Tribunal').
2. That the Respondent No.5, Ghaziabad Development Authority (hereinafter referred to as 'the Respondent No.5') is created under Section-4 of Urban Planning and Development Act, 1973 by Government Order no. 738(1)-37-2-47-DA76, Lucknow dated 9th March 1977. The primary objectives of the Authority are preparation of Master Plan for Planned Urban Development, development & control as per Master Plan, Acquisition of Land and Management for Housing and Urban Development, Construction Housing and Development, provision of Physical and Social Infrastructure.

3. That, at the very outset it is submitted before this Hon'ble Tribunal that the relief sought by the Applicant in present matter is frivolous and baseless. Further, all the contentions submitted by the Applicant are denied in entirety save and except so far as specifically admitted herein. Nothing in the present reply may be deemed to be an admission for want of specific denial.
4. That the present matter raises grievance in respect of pollution and encroachment on the Hasanpur-Lodha wetland which according to the applicant is inventoried in the National Wetland Inventory and Assessment project (NWIA), NWIA was carried out by Space Applications Centre (SAC), Ahmedabad. The applicant has raised a further grievance that the prohibited activities under Rule 4 (1) of the Wetlands Rules, 2017 are rampant and the authorities have not taken action to preserve the wetland and to prevent the encroachment and pollution thereof.
5. That it most humbly submitted that the Mussoorie-Gulawathi Industrial Area is under the jurisdiction of Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (Respondent No. 8 in the O.A.). Therefore, Respondent No. 8 and Respondent No. 2 (UPPCB) are competent authorities to take actions against emission related activities in and around the industrial units operating in Mussoorie-Gulawathi Industrial Area.
6. That it submitted that from the survey of some units, it has been found that the District Panchayat, Hapur has approved maps outside its jurisdiction and in pursuance of the same, Respondent No. 5 issued letters dated 09.11.2024, 12.09.2024, 07.09.2024 & 18.04.2024 to District Panchayat, Hapur requesting them to cancel all the maps approved by them after 01 March, 2011 on the land of villages notified under the development area and provide their list for necessary actions against

illegal constructions. A true copy of the letters dated 09.11.2024, 12.09.2024, 07.09.2024 & 18.04.2024 are marked and annexed herein as ANNEXURE A-1(COLLY).

7. That further Respondent No. 5 has issued show cause notices dated 15.10.2024, 03.10.2024 & 01.10.2024 u/s 27(1) Uttar Pradesh Town Planning and Development Act-1973 to such persons who have unauthorisedly constructed unit under the notified area of Ghaziabad Development Authority. A true copy of show cause notices dated 15.10.2024, 03.10.2024 & 01.10.2024 is marked and annexed herein as ANNEXURE A-2 (COLLY).
8. That it is humbly submitted that the submissions in the present reply are limited to the averments made in the original application 1155/2024 and the interim application 443/2024 however, the Respondent No. 5 reserves the right to reply to any additional averments/allegations raised at the later stage.


Place: New Delhi
Date: 18.08.2025

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY
(RESPONDENT NO. 5)

THROUGH COUNSEL

YAGYAWALKYA SINGH
Advocate-on-Record
Supreme Court of India
Chamber: 203, Setaivad Block, Bhagwan Das Road
Supreme Court of India
New Delhi-110001
Mob.: 7838848157, 9315814183

YAGYAWALKYA SINGH
ADVOCATE-ON-RECORD
A-131, SECTOR 46, NOIDA, and U.P.
Email: yagywalkya@dylawchambers.com
Contact: +91- 7838848157



BEFORE THE HONORABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1155 OF 2024
(& I.A. 443/2024)



IN THE MATTER OF:

KAUSHALENDRA KUMAR

...APPLICANT

-VERSUS-

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENTS


AFFIDAVIT

I, PIYUSH SINGH, S/o HARI KISHAN, aged about 31 years, presently posted as ASSISTANT ENGINEER, GDA, and R/o GDA GHAZIABAD, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am the authorized representative of the Respondent Authority in the aforesaid matter and I am well conversant with facts and circumstances of the case and I am competent to swear the present affidavit.
2. That the contents of the accompanying short reply have been read over to me, which I understood and I state that the contents from para 1 to 8 are based on the records maintained by me and further as per the legal advice received and believed by me to be true.
3. That the Annexure filed with the present short reply are true copies of the originals.

VERIFICATION

Verified at New Delhi on this _____ day of 14 AUG 2025, 2025 that the contents of Para 1 to 3 of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



DEPONENT

Piyush Singh
पीयूष सिंह
सहा० अभि०
प्रवर्तन जोन-5

14 AUG 2025
Attested by Through Shri. Piyush Singh
Hari Kishan
Assistant Engineer G.D.A.
Ghaziabad
148

ATTESTED
Rajendra Pratap Chhibber
Advocate & Notary Public
Ghaziabad
Reg. No. 13489

DEPONENT

Piyush Singh
पीयूष सिंह
सहा० अभि०
प्रवर्तन जोन-5

विधि अनुभाग के पत्र सं०-400/6/विधि अनु०/वाद/2024 दिनांक 13.11.2024 के अन्तर्गत मूल प्रार्थना पत्र सं०-1155/2024 कौशलैन्द्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में ग्राम हसनपुर लौधा वेटलैन्ड और आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनियन्त्रित, अप्रतिबन्धित गैर कानूनी और अवैध पर्यावरणीय ऑफ परिस्थितिक दोहन और क्षरण को रोकने आदि के सम्बन्ध में योजित याचिका से सम्बन्धित प्रस्तरवार आख्या

1. वादी का स्वयं का कथन है प्राधिकरण से सम्बन्धित नहीं है।
2. विधिक है।
3. विधिक है।
4. टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
5. टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
6. वादी द्वारा कथन को स्वयं सिद्ध किया जाना है।
7. वादी का कथन अभिलेखों पर आधारित है।
8. विन्दु सं०-7 के अनुसार।
9. विन्दु सं०-7 के अनुसार।
10. अभिलेखिय तथ्यों पर आधारित है जिसके सम्बन्ध में अभिलेख वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।
11. विन्दु सं०-10 के अनुसार।
12. विन्दु सं०-10 के अनुसार।
13. विधिक है।
14. अभिलेखिय तथ्यों पर आधारित है।
15. अभिलेखिय तथ्यों पर आधारित है तथा विधिक नियमों का उल्लेख किया गया है जिस पर कोई अभिमत नहीं दिया जाना है।
16. विन्दु सं०-15 के अनुसार।
17. विन्दु सं०-15 के अनुसार।
18. नियमों का उल्लेख किया गया है।
19. वादी का कथन है जिसके सम्बन्ध में टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
20. मसूरी, गुलावटी औद्योगिक क्षेत्र, उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है। जिसमें औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न औद्योगिक ईकाई की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। इस क्षेत्र के अतिरिक्त गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत अनाधिकृत रूप से निर्मित किये जाने वाली ईकाईयों के विरुद्ध उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973(यथा संशोधित) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।
21. हसनपुर लौधा के क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से स्थापित ईकाईयों के विरुद्ध उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973(यथा संशोधित) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। कतिपय ईकाईयों के सर्वेक्षण से यह भी ज्ञात हुआ है कि जिला पंचायत, हापुड द्वारा भी अपने क्षेत्राधिकार से पृथक भी मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं।
22. प्राधिकरण से सम्बन्धित नहीं है। प्रतिवादी सं०-17-38 को प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना है।
23. मसूरी गुलावटी, औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत एवं उसके आसपास संचालित औद्योगिक ईकाईयों पर उत्सर्जन से सम्बन्धित क्रियाओं हेतु उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जाती है।
24. उ०प्र० प्रदूषण बोर्ड से सम्बन्धित है।
25. केन्द्रीय भू-जल संरक्षण विभाग एवं उ०प्र० नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित है।

ज्ञानप्रकाश द्विवेदी
अवर अभियन्ता


अरुज कुमार
सहायक अभियन्ता
प्रवर्तन जोन-5

गणेश सिंह
विशेष कार्यधिकारी
प्रभारी प्रवर्तन जोन-5
वि० प्रा० गा०वा०


26. बिन्दु सं०-25 के अनुसार।
27. बिन्दु सं०-25 के अनुसार।
28. प्राधिकरण से सम्बन्धित नहीं है। प्रतिवादी सं०-17-38 द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जाना है।
29. बिन्दु सं०-28 के अनुसार।
30. केन्द्रीय भू-जल संरक्षण विभाग एवं उ०प्र० नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित है।
31. उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित है।
32. बिन्दु सं०-30 के अनुसार।
33. बिन्दु सं०-30 के अनुसार।
34. बिन्दु सं०-30 के अनुसार।
35. अभिलेखीय तथ्यों द्वारा प्रमाणित किया जाना है।
36. अभिलेखीय तथ्यों एवं तकनीकी सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित है।
37. बिन्दु सं०-30 के अनुसार।
38. वादी द्वारा स्वयं सिद्ध किया जाना है।
39. बिन्दु सं०-38 के अनुसार।
40. वादी के कथन के सम्बन्ध में प्रतिवादी सं०-27, 30, 31, 32, 33 एवं 34 द्वारा स्वयं प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जाना है।
41. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम (यथा संशोधित) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। कृत कार्यवाही के प्रपत्रों की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।
42. स्थानीय नगर निकाय द्वारा ही सॉलिड वैस्ट मैनेजमेंट के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है।
43. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय भू-जल संरक्षण विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
44. नीतिगत विषय है।
45. भू-जल संरक्षण विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।
46. बिन्दु सं०-45 के अनुसार।
47. वादी का कथन है। वादी द्वारा स्वयं सिद्ध किया जाना है।
48. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सूचना प्राप्त होने के उपरान्त उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कतिपय वाद योजित करते हुए कार्यवाही की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु कृत कार्यवाहियों की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।
49. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम (यथा संशोधित) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।
50. विधिक एवं संवैधानिक है।

विशेष कथन

मसूरी गुलावटी इन्डस्ट्रियल एरिया से पृथक क्षेत्रों में भी जिला पंचायत हापुड़ द्वारा मानचित्र स्वीकृत किये गये हैं जिसके कारण अन्य सरकारी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की जा पा रही है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में जिला पंचायत को पत्र भी प्रेषित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।


ज्ञानप्रकाश द्विवेदी
अवर अभियन्ता
03/01/25
J.B.


अनुज कुमार
सहायक अभियन्ता
प्रवर्तन जोन-5


गुला सिंह
विशेष कार्यधिकारी
प्रभासी प्रवर्तन जोन-5
गा० वि० मा० हा०



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000 एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक:- 1170 / प्रवर्तन जोन-05 / 2024

दिनांक:- 09/11/2024

प्रेषक,

अपर सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
हापुड उ0प्र0।

विषय :- साईं एन्क्लेव, रिलायन्स रोड, ग्राम गालन्द जिला हापुड के नियम विरुद्ध स्वीकृत किये गये तलपट मानचित्र को निरस्त करने एवं पूर्व प्रेषित पत्र सं0-951/प्रवर्तन जोन-5/2024 दिनांक 07.09.2024 के क्रम में विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अधिसूचित ग्रामों की भूमि पर जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत सभी मानचित्रों को निरस्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि रिलायन्स रोड, हापुड पर ग्राम-गालन्द के खसरा सं0-1326, 1336, 1338, 1245, 1252, 1254, 1255, 1256, 1258 व 1259 पर जिला पंचायत द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए अवैधानिक रूप से बिना भू-उपयोग परिवर्तन कराये एवं सडको की नियमानुसार आवश्यक चौड़ाई प्राविधानों को अनदेखा करते हुए साईं एन्क्लेव नामक तलपट मानचित्र स्वीकृत किया गया है, जिसमें प्रदूषण विभाग व पर्यावरण विभाग की अनापत्ति भी प्राप्त नहीं की गयी है। स्थल पर यह भी ज्ञात हुआ है कि जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत उक्त तलपट मानचित्र के अन्तर्गत सृजित भूखण्डों पर बिना अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्राप्त किये औद्योगिक भवन मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र सं0-951/प्रवर्तन जोन-5/2024 दिनांक 07.09.2024 में तलपट मानचित्र/भवन मानचित्र की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं लिये जाने वाले शुल्कों का विस्तृत विवरण अंकित करते हुए अनुरोध किया गया था कि विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अधिसूचित ग्रामों की भूमि पर जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत सभी मानचित्रों को निरस्त करते हुए उनकी सूची गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त अवैध निर्माणों के विरुद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा 26, 27 एवं 28 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सके, किन्तु उक्त सूची अभी तक अप्राप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि रिलायन्स रोड, ग्राम गालन्द हापुड की भूमि पर स्वीकृत किये गये साईं एन्क्लेव नामक तलपट मानचित्र को निरस्त करने एवं दिनांक 01 मार्च 2011 के उपरान्त विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अधिसूचित ग्रामों की भूमि पर जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत सभी मानचित्रों को निरस्त करते हुए उनकी सूची गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त अवैध निर्माणों के विरुद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा 26, 27 एवं 28 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सके।

पत्रांक सं0- 1170/24
प्रतिलिपि:-

दिनांक 09/11/24

अपर सचिव/
प्रभारी प्रवर्तन जोन-5

1. जिलाधिकारी महोदय, हापुड को इस अनुरोध के साथ सादर प्रेषित कि सम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

अपर सचिव



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्र संख्या:- १३०/४५०/२०२४ /2024
प्रेषक,

दिनांक: 12-९-२०२४

अपर सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
गाजियाबाद, उ०प्र०।

विषय:- विकास क्षेत्र में अधिसूचित ग्रामों की भूमि पर मानचित्र स्वीकृत न करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राष्ट्रपति अधिनियम सं०-11, 1973 की धारा-3 के अन्तर्गत उ०प्र० शासन की अधिसूचना सं०-738-सैतीस-2-47डी०ए०/76 दिनांक 09 मार्च-1977 में संशोधन कर उ०प्र० शासन द्वारा हापुड विकास प्राधिकरण, वृहत्तर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं पूर्व में किसी विकास क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किये गये कुल 09 गांवों को शासनादेश दिनांक 01 मार्च 2011 के द्वारा गाजियाबाद विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। इनमें से रघुनाथपुर, दीनानाथपुर पट्टी, सादिकपुर, इनायतपुर, हसनपुर व आरिफपुर जिला गाजियाबाद के अन्तर्गत है। जिला पंचायत गाजियाबाद द्वारा उपरोक्त गांवों के साथ-साथ मसूरी व डासना की भूमि पर भी मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं। उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश के द्वारा प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में किसी क्षेत्र के सम्मिलित होने के उपरान्त मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी अन्य किसी भी विभाग के अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि किसी क्षेत्र में एक साथ दो अधिनियम लागू नहीं हो सकते। प्राधिकरण को विकास क्षेत्र के अन्तर्गत उ०प्र० नगर नियोजन और विकास अधिनियम-1973 (उ०प्र० अधि० संख्या-1 सन् 2008 द्वारा यथासंशोधित) की सुसंगत धाराओं के प्राविधानों के द्वारा तलपट मानचित्र एवं भवन मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

अवगत कराना है कि जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत किये जा रहे अधिकांश मानचित्र कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत है। उ०प्र० नगर नियोजन और विकास अधिनियम-1973 की धारा 38-क के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार केवल उ०प्र० शासन में निहित है। किसी भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित करने हेतु उ०प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 (उ०प्र० अधिनियम सं०-11 सन् 1973) की धारा 38-क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा-55 के अधीन अधिसूचना सं०-2218/8-3-14-194विधि/14 दिनांक 11.12.2014 यथा संशोधित सं०-857/8-3-16-194विधि/14 दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 को उ०प्र० शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त अधिसूचना जारी की गयी है। कृषि भू-उपयोग वाली भूमि को औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तित करने हेतु आवेदक द्वारा आवेदन करने के उपरान्त उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति के उपरान्त गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव के नियमानुसार होने की स्थिति में गठित समिति की संस्तुति के आधार पर मा० प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अनुमोदनोपरान्त दो समाचार पत्रों में आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है। कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने पर प्रकरण को उ०प्र० शासन को प्रेषित किया जाता है, जिसकी अनुमति उपरान्त सर्किल रेट के अनुसार कुल भूमि के मूल्य का 35 प्रतिशत प्राधिकरण कोष में जमा कराया जाता है। शुल्क जमा होने के उपरान्त प्रकरण को पुनः उ०प्र० शासन को प्रेषित किया जाता है, जिसके क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु शासनादेश जारी किया जाता है।

भूमि के कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त उ०प्र० नगर नियोजन और विकास अधिनियम-1973 की धारा 14 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा सम्पूर्ण भूमि का तलपट मानचित्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी स्वीकृति से पूर्व लोक निर्माण विभाग अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, जिलाधिकारी (प्रशासन), मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण विभाग, जिलाधिकारी, सिविल विभाग की अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। सड़कों का नियोजन इस प्रकार किया जाये कि सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 मी०, जिसकी अधिकतम लम्बाई 200 मी०, उसके उपरान्त सड़क की चौड़ाई 24 मी० तथा 1000 मी० से अधिक लम्बाई की सड़क हेतु 30 मी० चौड़ाई होना आवश्यक है। तलपट मानचित्र के अन्तर्गत कुल भूमि का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल पार्क/खुले स्थल प्रदान किया जाये। उक्त सभी विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र होने के उपरान्त कुल भूमि पर रू० 3,993 की दर से बट्टा विकास शुल्क व रू० 13 प्रति वर्ग मी० की दर से निरीक्षण शुल्क जमा कराया जाता है। तलपट मानचित्र के अन्तर्गत आन्तरिक विकास कार्यों यथा सड़कें, सीवर, नाली, पार्क, पानी की टंकी आदि की लम्बाई के समस्त भूखण्ड बंधक रखे जाते हैं, जो आन्तरिक विकास कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त ही अवमुक्त किये जाते हैं।

तलपट मानचित्र स्वीकृत होने के उपरान्त सृजित भूखण्डों पर उ०प्र० नगर नियोजन और विकास अधिनियम-1973 की धारा 15 के अन्तर्गत मानचित्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी स्वीकृति हेतु निर्धारित सेट बैक व पार्किंग का प्राविधान करते हुए भू-आच्छादन एवं एफ०ए०आर० के अन्तर्गत कुल आच्छादन पर रू० 75 प्रति वर्ग मी० की दर से अम्बार शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क जमा कराने के अतिरिक्त भवन की कुल लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस जमा कराया जाता है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जिला पंचायत द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए बिना भू-उपयोग परिवर्तन कराये एवं सड़कों की नियमानुसार आवश्यक चौड़ाई के प्राविधान को अनदेखा करते हुए मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं, जिससे राजस्व की भारी हानि हो रही है एवं अनियोजित विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 01 मार्च, 2011 के बाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अधिसूचित ग्रामों एवं विकास क्षेत्र में सम्मिलित अन्य ग्रामों की भूमि पर जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत सभी मानचित्रों को निरस्त करते हुए उनकी सूची गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त अवैध निर्माणों के विरुद्ध उ०प्र० नगर नियोजन और विकास अधिनियम-1973 की धारा 26, 27 एवं 28 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

ok (प्रदीप कुमार सिंह)
अपर सचिव/
प्रभारी प्रवर्तन जोन-5

दिनांक : 12/9/2024

पृष्ठांकन : 970/941/25 /2024
प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ सादर प्रेषित कि सम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

ok अपर सचिव



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

दिनांक: 07/9/2024

पत्र संख्या:- 951/मुहो/25 /2024

प्रेषक,

अपर सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
हापुड, उ०प्र०।

विषय:- आपके पत्र सं०-126/2024-25 दिनांक 14.05.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र सं०-126/2024-25 दिनांक 14.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र में जिला पंचायत मानचित्र स्वीकृत करने के लिए अधिकृत है। आपको अवगत कराना है कि क्षेत्र के विकास क्षेत्र में सम्मिलित होने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त भूमि का अधिग्रहण करे, अपितु क्षेत्र के अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित होने के उपरान्त निर्माण एवं विकास कार्यों का नियंत्रण प्राधिकरण के अधीन आता है। आपको पुनः अवगत कराना है कि राष्ट्रपति अधिनियम सं०-11, 1973 की धारा-3 के अन्तर्गत उ०प्र० शासन की अधिसूचना सं०-738-सैतीस-2-47डी०ए०/76 दिनांक 09 मार्च-1977 में संशोधन कर उ०प्र० शासन द्वारा हापुड विकास प्राधिकरण, वृहत्तर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं पूर्व में किसी विकास क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किये गये कुल 09 गांवों को शासनादेश दिनांक 01 मार्च 2011 के द्वारा गाजियाबाद विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश के द्वारा प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में किसी क्षेत्र के सम्मिलित होने के उपरान्त मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी अन्य किसी भी विभाग के अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि किसी क्षेत्र में एक साथ दो अधिनियम लागू नहीं हो सकते। प्राधिकरण को विकास क्षेत्र के अन्तर्गत उ०प्र० नगर नियोजन और विकास अधिनियम-1973 (उ०प्र० अधि० संख्या-1 सन् 2008 द्वारा यथासंशोधित) की सुसंगत धाराओं के प्राविधानों के द्वारा तलपट मानचित्र एवं भवन मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

यह भी अवगत कराना है कि जिला पंचायत द्वारा अवैधानिक रूप से स्वीकृत किये जा रहे अधिकांश मानचित्र कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत है। उ०प्र० नगर नियोजन और विकास अधिनियम-1973 की धारा 38-क के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार केवल उ०प्र० शासन में निहित है। किसी भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित करने हेतु उ०प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 (उ०प्र० अधिनियम सं०-11 सन् 1973) की धारा 38-क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा-55 के अधीन अधिसूचना सं०-2218/8-3-14-194विधि/14 दिनांक 11.12.2014 यथा संशोधित 857/8-3-16 -194विधि/14 दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 को उ०प्र० शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त अधिसूचना जारी की गयी है। कृषि भू-उपयोग वाली भूमि को औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तित करने हेतु आवेदक द्वारा आवेदन करने के उपरान्त उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति के उपरान्त गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव के नियमानुसार होने की स्थिति में गठित समिति की संस्तुति के आधार पर मा० प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अनुमोदनोपरान्त दो समाचार पत्रों में आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु विज्ञापित प्रकाशित की जाती है। कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने पर प्रकरण को उ०प्र० शासन को प्रेषित किया जाता है, जिसकी अनुमति उपरान्त सर्किल रेट के अनुसार कुल भूमि के

मूल्य का 35 प्रतिशत प्राधिकरण कोष में जमा कराया जाता है। शुल्क जमा होने के उपरान्त प्रकरण को पुनः उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाता है, जिसके क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु शासनादेश जारी किया जाता है।

भूमि के कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त उ0प्र0 नगर नियोजन और विकास अधिनियम-1973 की धारा 14 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा सम्पूर्ण भूमि का तलपट मानचित्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी स्वीकृति से पूर्व लोक निर्माण विभाग अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण विभाग, यथाआवश्यक वन विभाग, सिंचाई विभाग की अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। सड़कों का नियोजन इस प्रकार किया जाता है कि सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 मी0, जिसकी अधिकतम लम्बाई 200 मी0, उसके उपरान्त 400 मी0 लम्बाई तक 18 मी0, 1000 मी0 लम्बाई तक 24 मी0 तथा 1000 मी0 से अधिक लम्बाई की सड़क हेतु 30 मी0 चौड़ाई होना आवश्यक है। तलपट मानचित्र के अन्तर्गत कुल भूमि का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल पार्क/खुले स्थल हेतु आरक्षित किया जाता है। उक्त सभी विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र होने के उपरान्त कुल भूमि पर रू0 3,993 प्रति वर्ग मी0 की दर से बाह्य विकास शुल्क व रू0 13 प्रति वर्ग मी0 की दर से निरीक्षण शुल्क जमा कराया जाता है। तलपट मानचित्र के अन्तर्गत आन्तरिक विकास कार्यों यथा सड़के, सीवर, नाली, पार्क, पानी की टंकी आदि की लागत के सापेक्ष भूखण्ड बंधक रखे जाते हैं, जो आन्तरिक विकास कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त ही अवमुक्त किये जाते हैं।

तलपट मानचित्र स्वीकृत होने के उपरान्त सृजित भूखण्डों पर उ0प्र0 नगर नियोजन और विकास अधिनियम-1973 की धारा 15 के अन्तर्गत मानचित्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी स्वीकृति हेतु निर्धारित सेट बैक व पार्किंग का प्राविधान करते हुए भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 के अन्तर्गत कुल आच्छादन पर रू0 75 प्रति वर्ग मी0 की दर से अम्बार शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क जमा कराने के अतिरिक्त भवन की कुल लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस जमा कराया जाता है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जिला पंचायत द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए अवैधानिक रूप से बिना भू-उपयोग परिवर्तन कराये एवं सड़कों की नियमानुसार आवश्यक चौड़ाई के प्राविधान को अनदेखा करते हुए मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं, जिससे राजस्व की भारी हानि हो रही है एवं अनियोजित विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 01 मार्च, 2011 के बाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अधिसूचित ग्रामों की भूमि पर जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत सभी मानचित्रों को निरस्त करते हुए उनकी सूची गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त अवैध निर्माणों के विरुद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन और विकास अधिनियम-1973 की धारा 26, 27 एवं 28 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(प्रदीप कुमार सिंह)
अपर सचिव/

01C प्रमारी प्रवर्तन जोन-5
दिनांक : 07/9/2024

पृष्ठांकन : 951/541/MS/2024
प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, हापुड को इस अनुरोध के साथ सादर प्रेषित कि सम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

01C अपर सचिव



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक:- 456 / प्रवर्तन जोन-05/2024

दिनांक:- 18/4/24

प्रेषक,

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, हापुड,
उत्तर प्रदेश।


महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र सं०-2043/2023-24 दिनांक 15.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आप द्वारा ग्राम-गालन्द, ग्राम-शेखपुर खिचरा तथा ग्राम-हसनपुर लोढा तहसील धौलाना जनपद हापुड के खसरे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में सम्मिलित है अथवा नहीं के सम्बन्ध में अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ०प्र० शासन द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं०-703/आठ-6-2011-2गठन/10 लखनऊ दिनांक 01 मार्च 2011 के द्वारा उपरोक्त ग्रामों को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें तथा उक्त अधिसूचना तिथि के उपरान्त यदि आप द्वारा उक्त ग्रामों में निर्माण/विकास हेतु यदि कोई मानचित्र स्वीकृत किया गया है तो उक्त स्वीकृति को निरस्त करने का कष्ट भी करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
aus 
15/4/24
(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

पत्रांक सं०- 456/18/जन०५/2024
प्रतिलिपि:-

दिनांक...18/4/24...

1. जिलाधिकारी महोदय, हापुड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।


सचिव
aus



न्यायालय सक्षम प्राधिकारी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

विकास पथ, पुराना बस अड्डा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

प्रपत्र- (घ)

(कृपया विनियम 8 देखिये)

कारण बताओ नोटिस

दिनांक:- 15/10/2024

बाद संख्या:- GDA/ANI/2024/0003249

प्रेषण दिनांक 15/10/2024

प्रेषण संख्या GDA/DSP/0012640

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाम श्री अम्बर जैन, श्री श्रेयांस जैन

भूखण्ड सं0 खसरा सं0-289 व 293मि, दीनानाथपुर पुट्टी,, Ghazlabad-0, Mobile No-9999999999

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस:

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 एवं धारा-15 के आदेशानुसार विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना खसरा सं 293 मि0, दीनानाथपुर पुट्टी, हसनपुर रोड, गाजियाबाद पर स्थित भवन का जिसमें

खसरा सं0-289 व 293 मि0, दीनानाथपुर पुट्टी, हसनपुर रोड, गाजियाबाद पर लगभग 3200 वर्ग मी0 के भूखण्ड प व टीन शेड का निर्माण पूर्ण कर ईट चिनाई का कार्य जारी। स्थल पर विधिक रूप से स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया बताए गये नाम के अनुसार चालानी कार्यवही की जा रही है।

है।

अतएव आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी विकास प्राधिकरण गाजियाबाद कार्यालय में दिनांक 22/10/2024 को दोपहर 12 बजे यह बताएं पूर्वोक्त निर्माण का न्यूनतम को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए।

आप स्वयं अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उपस्थिति हो सकते हैं और लिखित बयान भी दे सकते हैं।

टिप्पणी: आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 (1) की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण कार्य करने के लिए अर्ध दण्ड के भागी हो सकते हैं। जो 50,000/- रु० (रूपया 50 हजार) तक सकता है और जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माना जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके अपराध प्रथम बार कारित किए जाने हेतु के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाने के बाद, जारी हो रु० - 2,500/- तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

Reminder(1) : अनुस्मारक नोटिस

Lp
सक्षम प्राधिक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण



न्यायालय सक्षम प्राधिकरण

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
विकास पथ, पुराना बस अड्डा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

प्रपत्र- (घ)

(कृपया विनियम 8 देखिये)

कारण बताओ नोटिस

दिनांक:- 03/10/2024

नाद संख्या:- GDA/ANI/2024/0003248

प्रेषण दिनांक 03/10/2024

प्रेषण संख्या GDA/DSP/0012516

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाम शारदा इण्डस्ट्रीज

भूखण्ड सं0 खसरा सं0-295 व 289, दीनानाथपुर पुट्टी, Ghazlabad-0, Mobile No-9999999999

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस :

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 एवं धारा-15 के आदेशानुसार विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना खसरा सं0-293 व 289, दीनानाथपुर पुट्टी, हसनपुर रोड गाजियाबाद पर स्थित भवन का जिसमें

खसरा सं0-293 व 289, दीनानाथपुर पुट्टी, हसनपुर रोड गाजियाबाद पर लगभग 3000 वर्ग मी0 के भूखण्ड पर लगभग 6 माह पूर्व कार्य प्रारम्भ करते हुए ट्रेस व टीन शेड का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं फर्श का कार्य भी लगभग 99 प्रतिशत पूर्ण कर अवशेष कार्य जारी। फैक्ट्री के अन्दर विभिन्न प्रकार की मशीने आदि रखी गई है। कोई स्वीकृत मानचित्र व स्वामित्व प्रपत्र नहीं दिखाए गए। मौके पर बताए गए नाम के अनुसार चालानी कार्यवाही की जा रही है।

है।

अतएव आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी विकास प्राधिकरण गाजियाबाद कार्यालय में दिनांक 10/10/2024 को दोपहर 12 बजे यह बताएं कि पूर्वाक्त निर्माण कान्सट्रक्शन-को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए।

आप स्वयं अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा उपस्थिति हो सकते हैं और लिखित बयान भी दे सकते हैं।

टिप्पणी :- आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 (1) की ओर भी दिसाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण कार्य करने के लिए अर्ध दण्ड के भागी हो सकते हैं। जो 50,000/- रु० (रुपया 50 हजार) तक हो सकता है और जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माना जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके अपराध के प्रथम बार कारित किए जाने हेतु के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाने के बाद, जारी हो रु० - 2,500/- तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।


सक्षम प्राधिकारी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण





न्यायालय सक्षम प्राधिकारी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

विकास पथ, पुराना बस अड्डा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

प्रपत्र- (घ)

(कृपया विनियम 8 देखिये)

कारण बताओ नोटिस

दिनांक:- 01/10/2024

बाद संख्या:- GDA/ANI/2024/0003245

प्रेषण दिनांक 01/10/2024

प्रेषण संख्या GDA/DSP/0012507

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाम श्री राम दुलार यादव

भूखण्ड सं0 खसरा सं0-293 मि0, दीनानाथपुर पुट्टी, Ghaziabad-0, Mobile No-9999999999

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस :

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 एवं धारा-15 के आदेशानुसार विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना खसरा सं0-293 मि0 दीनानाथपुर पुट्टी हसनपुर रोड गाजियाबाद पर स्थित भवन का जिसमें

खसरा सं0-293 मि0 दीनानाथपुर पुट्टी हसनपुर रोड गाजियाबाद पर लगभग 300 वर्ग मी0 के भूखण्ड पर औद्योगिक निर्माण हेतु ट्रेस लगाने का कार्य जारी। स्थल पर कोई स्वीकृत मानचित्र एवं स्वामित्व अभिलेख नहीं दिखाये गये। मौके पर बताया गए नाम के अनुसार चालानी कार्यवाही की जा रही है।

है।

अतएव आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी विकास प्राधिकरण गाजियाबाद कार्यालय में दिनांक 10/10/2024 को दोपहर 12 बजे यह बताएं कि पूर्वांक निर्माण कान्स्ट्रक्शन को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए।

आप अन्य अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा उपस्थिति हो सकते हैं और लिखित बयान भी दे सकते हैं।

बाद संख्या:- GDA/ANI/2024/0003245

टिप्पणी :- आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 (1) की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण कार्य करने के लिए अर्ध दण्ड के भागी हो सकते हैं। जो 50,000/- रु० (रूपया 50 हजार) तक हो सकता है और जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माना जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके अपराध के प्रथम बार कार्रवाई करने के लिए दोष सिद्ध अदरया जाने के बाद, जारी हो रु० - 2,500/- तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।


सक्षम प्राधिकारी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।



न्यायालय सक्षम प्राधिकारी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

विकास पथ, पुराना बस अड्डा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

प्रपत्र- (घ)

(कृपया विनियम 8 देखिये)

कारण बताओ नोटिस

दिनांक:- 03/10/2024

वाद संख्या:- GDA/ANI/z024/0003246

प्रेषण दिनांक 03/10/2024

प्रेषण संख्या GDA/DSP/0012510

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाम श्री शरिक व श्री नावेद

भूखण्ड सं0 293मि0, दीनानाथपुर पुट्टी, Ghaziabad-0, Mobile No-9999999999

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस :

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 एवं धारा-15 के आदेशानुसार विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना 293मि0 दीनानाथपुर पुट्टी, हसनपुर रोड गाजियाबाद पर स्थित भवन का जिसमें

293मि0 दीनानाथपुर पुट्टी, हसनपुर रोड गाजियाबाद पर लगभग 500 वर्ग मी0 के भूखण्ड पर 60 वर्ग मी0 क्षेत्रफल भूतल व प्रथम तल की छत डालकर फिनिशिंग का कार्य जारी। निर्माण की प्रकृति औद्योगिक प्रतीत होती है। स्थल पर कोई स्वीकृत मानचित्र व स्वामित्व अभिलेख नहीं दिखाये गये। स्थल पर बताये गये नाम के अनुसार चालानी कार्यवाही की जा रही है।

है।

अतएव आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी विकास प्राधिकरण गाजियाबाद कार्यालय में दिनांक 10/10/2024 को दोपहर 12 बजे यह बताएं कि पूर्वाक्त निर्माण कान्सट्रक्शन को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए।

आप स्वयं अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा उपस्थिति हो सकते हैं और लिखित बयान भी दे सकते हैं।

टिप्पणी :- आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 (1) की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण कार्य करने के लिए अर्ध दण्ड के भागी हो सकते हैं। जो 50,000/- रु० (रूपया 50 हजार) तक हो सकता है और जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माना जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके अपराध के प्रथम बार कारित किए जाने हेतु के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाने के बाद, जारी हो रु० - 2,500/- तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

दीनानाथपुर पुट्टी, हसनपुर रोड, गाजियाबाद पर स्थित भवन का जिसमें

सक्षम प्राधिकारी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

002



गजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, पुराना बस अड्डा, गजियाबाद उत्तर प्रदेश।

प्रपत्र- (घ)

(कृपया विनियम 8 देखिये)

कारण बताओ नोटिस

दिनांक 03/10/2024

बाद संख्या:- GDA/ANI/2024/0003247

प्रेषण दिनांक 03/10/2024

प्रेषण संख्या GDA/DSP/0012513

गजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाम श्री शिव शंकर व अन्य

भूखण्ड सं0 खसरा सं0-293 मि0, दीनानाथपुर पुट्टी, Ghazlabad-0, Mobile No-9999999999

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस :

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 एवं धारा-15 के आदेशानुसार विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना खसरा सं0-293 मि0 दीनानाथपुर पुट्टी, हसनपुर रोड, गजियाबाद पर स्थित भवन का जिसमें

खसरा सं0-293 मि0 दीनानाथपुर पुट्टी, हसनपुर रोड, गजियाबाद पर लगभग 8750 वर्ग मी0 के भूखण्ड पर लगभग 5000 वर्ग मी0 क्षेत्रफल पर ट्रेस व टीन शेड का निर्माण कार्य पूर्ण कर फर्श डाले जाने का कार्य जारी। स्थल पर विधिक रूप से स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया। बताए गए नाम के अनुसार चालानी कार्यवाही की जा रही है।

है।

अतएव आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी विकास प्राधिकरण गजियाबाद कार्यालय में दिनांक 10/10/2024 को दोपहर 12 बजे यह बताएं कि पूर्वाक्त निर्माण कान्सट्रक्शन को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए।

आप स्वयं अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अधिकारता द्वारा उपस्थिति हो सकते हैं और लिखित बयान भी दे सकते हैं।

टिप्पणी :- आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 (1) की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण कार्य करने के लिए अर्ध दण्ड के भागी हो सकते हैं। जो 50,000/- रू० (रूपया 50 हजार) तक हो सकता है और जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माना जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके अपराध के प्रथम बार कारित किए जाने हेतु के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाने के बाद, जारी हो रू० - 2,500/- तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।


सक्षम प्राधिकारी
गजियाबाद विकास प्राधिकरण।